

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प. 1(07)नविवि/II/1994

जयपुर, दिनांक 19 AUG 2019

—:आज्ञा:—

नगरीय विकास विभाग(न्यास सेवा) के निम्नांकित अधिकारी द्वारा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री ओमप्रकाश सैनी, सहायक अभियंता	15.08.1959	31.08.2019	

यह प्रमाणित किया जाता है कि नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के श्री ओमप्रकाश सैनी, सहायक अभियंता के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

आज्ञा से



(कन्हैया लाल स्वामी)

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्यातिनगर, जयपुर।
6. श्री ओमप्रकाश सैनी, सहायक अभियंता, नगर विकास न्यास, अलवर।
7. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।



(कन्हैया लाल स्वामी)

शासन संयुक्त सचिव-प्रथम

Manoj
19/8